न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—261 / 2020 (जीसीएमएस नं. 2020 / 00016)

1. सुरेश कुमार पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण, निवासी ढ़ाणी लक्ष्मण, उप तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राजस्थान (मृतक)
   1/1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व. सुरेश,
   1/2. नीता पुत्री स्व. सुरेश,
   1/3. तनुजा पुत्री स्व. सुरेश,
   1/4. अन्जु पुत्री स्व. सुरेश, जाति समस्त ब्राहाम्ण, निवासीगण ढाणी लक्ष्मीणसिंह की तन बडवर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री बनवारी लाल सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 91 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष एक अपील विरूद्व आदेश व निर्णय नायब तहसीलदार बुहाना, दिनांक 26.07.2013 को पेश की थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2014 द्वारा विधि विरूद्व तौर पर खारिज किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 एवं निर्णय नायब तहसीलदार बुहाना दिनांक 26.07.2013 विरूद्व कानून न्याय व पत्रावली के होने के खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार बुहाना के सैक्शन 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस के जवाब में स्पष्ट अंकित किया था कि विवादित भूमि पर करीब 84—85 परिवार गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से पक्के मकान बनाकर आबाद है एवं अपीलान्ट द्वारा काबिज परिवारों की लिस्ट भी जवाब नोटिस के साथ पेश की गयी थी। परन्तु इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर बिना स्वयं मौके की जांच किये अपीलान्ट के मकानों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दे दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 20.01.2014

P.T.O.

द्वारा नायब तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 26.07.2013 को यथावत रख दिया जो कि स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है तथा केवल संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से अपीलान्ट वगैरह के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण किया गया है। जो निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 एवं नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनके ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम ढाणी लक्ष्मण स्थित राजकीय आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 3.28 हैक्टयर गै0मु0 जोहड़ में से 0.05 हैक्टयर भूमि पर अवैध रूप से आवासीय मकानात बनाकर कर अतिक्रमण किया गया है जबकि राजकीय गै.मु. जोहड़ की आराजी पर कानूनन अतिक्रमण नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2013 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 को यथावत रखा जाता है।

17/11/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/11/22

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर